उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या: 25/2018/1394/ सत्रह-म-2018,6-9 (333)/2016 टी0सी0

लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, 2018

<u>शुद्दि-पत्र</u>

ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना की वर्ष 2017-18 की वर्ष 2018-19 में द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1813.73 लाख के सापेक्ष प्राविधानित बजट धनराशि रू0 2000.00 लाख के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या 20/2018 /883/सत्रह-म-2018,6-9(333)/2016 टी0सी0 दिनांक 10 जुलाई 2018 द्वारा धनराशि रू0 1142.84 लाख की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त निर्गत की गयी थी, किन्तु उक्त शासनादेश में टंकण त्रुटिवश वित्त विभाग की सहमति से आदेश निर्गत किये जाने का उल्लेख नही हो सका।

2- अत: शासनादेश संख्या- 20/2018 /883/सत्रह-म-2018,6-9(333)/2016 टी0सी0 दिनांक 10 जुलाई 2018 के प्रस्तर-6 के नीचे निम्नवत पढा जाय:-

'' यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं''

3- शासनादेश संख्या- 20/2018 /883/सत्रह-म-2018,6-9(333)/2016 टी0सी0 दिनांक 10 जुलाई 2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्ते व प्रावधान यथावत रहेगें।

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

<u>संख्या: 25 /2018/1394(1)/ सत्रह -म-2018,तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार(लेखापरीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 /नियोजन अनु0-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in